दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-07-2025

बिलासा एयरपोर्ट • चार साल हो गए, 3सी से 4सी श्रेणी में अपग्रेडेशन, नाइट लैंडिंग और महानगरों की उड़ानें नहीं

सरकारें खुद ही कह दें-हमसे नहीं हो पाएगा कभी तो जागेगा बिलासपुर का भाग्य: हाईकोर्ट

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट के विकास में हो रही लेटलतीफी को लेकर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीजे रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने केंद्र व राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सीजे सिन्हा ने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं। बिलासपुर का भाग्य कभी तो जागेगा। राज्य और केंद्र दोनों जगह आपकी ही सरकार है, फिर भी यह हाल है। अधिकारियों के बॉडी लैंग्वेज से लगता ही नहीं कि वे कुछ करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने प्रदेश मुख्य सचिव और रक्षा मंत्रालय के सचिव से अगली सुनवाई में शपथ पत्र के साथ काम की प्रगति की जानकारी मांगी है।

बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा देवी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट, 3सी से 4 सी कैटेगरी में अपग्रेड करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा, महानगरों के लिए सीधी उड़ान की मांग करते हुए दो जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। सालों से इस पर सुनवाई हो रही है। यहां तक कि एयरपोर्ट को शुरू हुए करीब चार साल पूरे चुके हैं, लेकिन काम की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। रक्षा मंत्रालय से जमीन का हस्तांतरण समेत कई प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं। शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव और एडवोकेट संदीप दुबे ने एयरपोर्ट के मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं।

जमीन हस्तांतरण और जरूरी फैसले अब भी अटके

एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग मशीन लगाने का काम धीमी गति से चल रहा।

फोटो देखकर कहा- काम नामोनिशान नहीं, सिर्फ गाड़ी खड़ी

राज्य सरकार की ओर से जवाब में कुछ फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए और दावा किया कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़ा कार्य प्रगति पर है। तस्वीरें देखकर चीफ जस्टिस ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा- क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? एक गाड़ी खड़ी है, पीछे दो-चार लोग खड़े हैं। काम कहां हो रहा है? जरा हमें भी दिखाइए।

डिफेंस ने राज्य सरकार को दे दी थी मंजूरी, फिर क्यों अटका काम?

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय पहले ही 286 एकड़ जमीन पर रनवे विस्तार व अन्य कार्यों की अनुमति राज्य सरकार को दे चुका है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब अनुमति मिल गई, तो अब क्या अड़चन है? इस पर बताया गया कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे का कार्य शुरू किया जाए।

कहा- मुआवजे का मामला 8 सप्ताह में निपटाएं

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को 3सी से 4सी कैटेगरी में अपग्रेड करने की दिशा में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को जमीन मुआवजे पर राज्य सरकार के साथ विवाद का निपटारा 8 हफ्ते में करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को शपथ पत्र देकर बताया कि रक्षा मंत्रालय ने काम करने की अनुमति तो दी है, लेकिन जमीन के मुआवजे को लेकर अड़चन बनी हुई है।

भास्कर इनसाइड

सिर्फ 31 करोड़ खर्च कर सपना 4सी एयरपोर्ट का दिखा रहे

बिलासपुर | बिलासा देवी एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत 1 मार्च 2021 में हुई थी। इसके बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग ने करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन शहर के लोगों को 4सी कैटेगरी के उड़ानों का सपना दिखाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकार 4 सी के लिए जरूरी 292 एकड़ जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं कर पाई है। दरअसल जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले राज्य में कांग्रेस व केंद्र में भाजपा सरकार के गतिरोध की वजह से अटकी रही। इसलिए जब राज्य में भाजपा सरकार आई तब जमीन हस्तांतरण के मुद्दों के निपटने की उम्मीदें बढ़ीं। रक्षा मंत्रालय ने सेना से एयरपोर्ट को जरूरी जमीन पर काम करने की मंजूरी भी दे दी और इसके लिए 71 करोड़ रुपए शुल्क जमा करने को कहा। यह शुल्क अब तक जमा नहीं हो पाया है जिसकी वजह से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। एयरपोर्ट में 4 सी के लिए मास्टर प्लान बन चुका है लेकिन जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से एयरपोर्ट के विकास के लिए न जमीन मिल पा रही है और न ही राज्य सरकार से फंड जारी हो पा रहा है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर 3C वीएफआर से 3C आईएफआर अपग्रेडेशन के लिए 10.35 करोड़, टर्मिनल बिल्डिंग रिनोवेशन पर 1.92 करोड़, नाइट लैंडिंग व्यवस्था के लिए 10 करोड़, एप्रन एक्सटेंशन पर 1.90 करोड़, डीवीओआर सिविल वर्क पर 1.90 करोड़ और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 1.35 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा फेंसिंग कार्य पर 6 करोड़ और डीवीओआर सिस्टम के लिए 77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं, हवाई सुविधा सीमित ही बनी हुई है। न नाइट लैंडिंग चालू हुई, न ही रनवे विस्तार का कार्य पूरा हो पाया है।

4सी अपग्रेड पर सुनवाई हुई थी- पता करता हूं

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को 4सी अपग्रेड करने के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई थी। पता करता हूं तभी बता पाऊंगा।

बसवराजू, प्रभारी डायरेक्टर एविएशन डिपार्टमेंट